20-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया तो
तलबी हेतु तलबाना नोटिस आज तक भी पेश
नहीं किये है इससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने
प्रा० पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है अत:
प्रार्थी का प्रा० पत्र O9 R-5 में खारिज किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज
नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner